संचिका सं0–10 / गै०यो०–02–04 / 2017......974.....(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 30/10/2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के लिए भवन के आंतरिक जीर्णोद्धार, चहारदीवारी, विद्युत वायरिंग एवं फर्नीचर आदि अन्य छोटे कार्य हेतु रुपये 86,47,000/– (छियासी लाख सैंतालिस हजार) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–2272, दिनांक–22.09.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के लिए भवन के आंतरिक जीर्णोद्धार, चहारदीवारी, रंग–रोगन, विद्युत वायरिंग, ए०सी०, पंखा एवं फर्नीचर आदि अन्य छोटे कार्य हेतु रुपये 86,47,000/– (छियासी लाख सैंतालिस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही निगम की होगी।

(vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

3. इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग सं0–20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–104–औषधि नियंत्रण –0001–औषध नियंत्रण स्थापना, विपत्र कोड–20-2210061040001 के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत मद का विषय शीर्ष खुलवाते हुए पुनर्विनियोग अथवा अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपलब्ध कराये गये राशि से विकलनीय होगी ।

30/10/17

4. प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना तत्काल निगम में उपलब्ध निधि से इस योजना का अविलम्ब कार्यान्वयन प्रारंभ करायेंगे । राशि का उपबंध होने के पश्चात् राशि आवंटित की जा सकेगी ।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । आवंटनादेश निर्गत होने के उपरान्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-244 एवं विपत्र कोड– K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

6. बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

8. राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

11. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/– 30/10/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 974 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 30/10/2017

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10 एवं 7/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 30/10/17

सरकार के विशेष सचिव ।